

दिनांक 18.12.2023 दिन
सोमवार को मध्याह्न
12:00 बजे नगर निगम
मुख्यालय, मोतीझील स्थित
समिति कक्ष में सम्पन्न हुई
मा0 कार्यकारिणी समिति
की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 18.12.2023 दिन सोमवार को मध्यान्ह 12:00 बजे नगर निगम, मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/सभापति
2. श्री सन्तोष साहू	सदस्य/उपसभापति
3. श्री निर्देश सिंह चौहान	सदस्य
4. श्री विकास जायसवाल	सदस्य
5. श्री देवेन्द्र द्विवेदी	सदस्य
6. श्री दीपक शर्मा	सदस्य
7. श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
8. श्रीमती आरती गौतम	सदस्य
9. श्री पवन गुप्ता	सदस्य
10. श्री योगेन्द्र शर्मा	सदस्य
11. श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	सदस्य
12. श्री लियाकत अली	सदस्य
13. श्रीमती अंजुलि आदर्श दीक्षित	सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री शिवशरणप्पा जी.एन.	नगर आयुक्त
2. श्री प्रतिपाल सिंह	अपर नगर आयुक्त
3. श्री जगदीश यादव	अपर नगर आयुक्त
4. मो0 अवेश	अपर नगर आयुक्त
5. श्री सन्तोष कुमार यादव	संयुक्त नगर आयुक्त
6. श्री कृपा नन्द शुक्ला	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
7. श्री मनीष अवरथी	मुख्य अभियन्ता "सिविल"
8. डॉ अजय संखार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
9. डॉ0 आर0के0 निरंजन	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
10. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी	महाप्रबन्धक, जलकल
11. श्री राजेश सिंह	सचिव नगर निगम

सभापति ने सर्वप्रथम नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। तदनुसार नगर आयुक्त ने सभी मा0 कार्यकारिणी सदस्यों, अधिकारियों एवं मीडिया बन्धुओं का स्वागत करते हुए अपर नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

सभापति ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी सदस्य एजेण्डा के प्रथम प्रस्ताव नगर निगम एवं जलकल के पुनरीक्षित बजट 2023-24 को अध्ययन करने 15 मिनट दिया जाता है।

श्री अभिषेक गुप्ता मोनू ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से पूछा कि कब तक का बजट है ? जोन-5 में अनावासीय में कोई कलेक्शन क्यों नहीं हुआ ? लक्ष्य कैसे पूरा होगा ?

श्री कृपा नन्द शुक्ला ने कहा कि पुनरीक्षित बजट अगस्त 2023 तक का है एवं जोन-5 में अगस्त 2023 तक अनावासीय में कोई आय नहीं हुई है। आवासीय में 10 करोड़ 99 लाख एवं अन्य कर 04 करोड़ 04 लाख राजस्व वसूली है। विगत वर्षों की भांति ज्यादातर राजस्व वसूली वित्तीय वर्ष के अंतिम 03 माह में हुए है एवं सरकारी विभागों से भी राजस्व वर्ष के अंतिम समय में ही मिल पाता है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि जो बड़े बकायेदार 50 लाख से ऊपर वाले को नोटिस नहीं दी जाती है, 5 लाख एवं 02 लाख के बकायेदारों को नोटिस दी जा रही है।

सभापति ने कहा कि जहाँ-जहाँ कुर्की नोटिस दी गयी है, उसकी जोनवार सूची उपलब्ध करायें।

श्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि जोनवार विस्तृत सूची उपलब्ध करा देंगे।

सभापति ने कहा दो वर्ष पूर्व 01 जनवरी को जेड-स्कवायर को लॉक कर दिया था, उसके बाद उसने 02 करोड़ बकाया टैक्स दिया था। फिर कैसे नाप-जोख हुई उनके वकील द्वारा अवगत कराया गया है कि जेड-स्कवायर का टैक्स मात्र 53 लाख है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि जेड-स्कवायर पर जो कर 2016 से लगना था उसे दबाव बनाने हेतु तत्कालीन जोनल अधिकारी द्वारा 2014 से लगा दिया गया, जिसके मॉल के प्रतिनिधि कारण कोर्ट चले गये और 02 बार नाप हो चुकी है। सही नाप न करने के कारण कोर्ट ने पुराने आधार पर टैक्स लगा दिया है, जिससे नगर निगम को वित्तीय क्षति हो रही है।

सभापति ने नगर निगम सीमान्तर्गत बने कुल मॉल के सम्बन्ध में जानकारी से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जोनल अधिकारियों द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :-

जोन	मॉल की संख्या	मॉल का नाम
1	01	जेड स्कवायर
2	—	—
3	01	साउथ एक्स
4	01	रेव-3
5	—	—
6	01	रेव मोती

सभापति ने कहा जेड स्कवायर का किराया मात्र 53 लाख है, जबकि रेव मोती से 03 गुना बड़ा मॉल है। रेव मोती का वार्षिक कर रू0 65 लाख है। सभापति ने कहा कि मैं निजी स्तर पर बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों को सर्वे कराऊँगी। यदि गलत कर निर्धारण पाया गया तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि जानबूझकर गलतियाँ की जाती हैं, इतना अन्तर नहीं होना चाहिए।

एमराल्ड स्थित जूडियो मॉल के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्री राजेश गुप्ता, जोनल अधिकारी जोन-6 ने अवगत कराया कि जूडियो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और दो पार्ट में बना है 02 लाख का कर है, उसकी आपत्ति भी आई है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि कितनी आपत्ति है, जो सही है ? जो नोटिसे दी जाती है, उसका जबाव प्राप्त होने पर कितने समय में निस्तारण किया जायेगा, इसका एक नियम बनायें तय अवधि में निस्तारण न करने सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होगा।

सभापति ने पूछा कि आपत्तियों का निस्तारण कैसे होगा ? शास्त्री नगर में एक दुकान का किराया 29 हजार वार्षिक कर दिया गया है, जहाँ कोई बिक्री नहीं होती है। इसी कारण लोग कोर्ट जाते हैं, जबकि नवीन मार्केट का किराया 19 हजार है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि 2008 की आपत्ति अभी तक पेन्डिंग है। कोई कमिटी बनाकर निस्तारण कराया जाये। जोन में जो लोग आपत्ति दाखिल करते हैं, उसे आई0जी0आर0एस0 की भौति प्राथमिकता पर निस्तारण कराया जाये। नगर निगम मुख्यालय स्थित शिकायत कक्ष काफी अच्छा कार्य कर रहा है, उसी में आपत्तियों हेतु इण्टीग्रेट किया जाये।

मो0 अवेश ने अवगत कराया कि आपत्तियों के सम्बन्ध में आप जैसा चाहेंगे, उसके अनुसार मॉडीफाई कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सभापति ने पूछा कि लेबर कॉलोनी 1952-1968 में बनी है, उसमें 56 दुकानों का किराया मात्र 2-3 हजार है।

श्री राजेश गुप्ता ने अवगत कराया कि पूर्व में डीएम सर्किल रेट का आधा पूर्व में मा0 सदन में निर्णय लिया गया था। दुकानों का लगभग रू0 25 हजार का किराया वार्षिक है, जबकि नवीन मार्केट का किराया रू0 16-17 हजार मासिक है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि बजट में किराया से वसूली 10 लाख 67 हजार है, पूरे वर्ष का 01 करोड़ 30 लाख है। डिमान्ड कितनी है।

श्री कृपा नन्द शुक्ला, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि विगत वर्ष वसूली 01 करोड़ 03 लाख थी।

श्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जो धन उल्लिखित है, उसका हेड क्लियर नहीं है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि जो हमको बजट दिया गया है, उसी पर ही बात होगी।

श्री शिवशरणप्पा जी.एन., नगर आयुक्त ने कहा अगस्त 2023 तक का डेटा है वर्तमान में दिसम्बर 2023 चल रहा है, इसलिये वसूली बढ़ गयी होगी। साथ ही जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि जोनवार डिमान्ड बनाये।

सभापति ने कहा कि जिसके जोन में जितनी बारातशाला है, कितनी दुकानें है, उनसे टैक्स कितना मिलता है, साथ ही जिन प्रापर्टी की लीज समाप्त हो गयी है, उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही सहित उसी सूची अगली सदन की बैठक में प्रस्तुत करें। नगर निगम के आवंटी दुकानदारों ने 50 गज के आवंटन में 200 गज की जगह घेर रखी है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा यूनियन क्लब फूलबाग के आगे और पीछे नगर निगम की भूमि है, बीच में नजूल कर्हों से आ गया, इसकी लीज भी समाप्त हो गयी है, इसे नगर निगम के अधिकार में लिया जाये। फूलबाग का नौका विहार भी बन्द पड़ा उसका भी निस्तारण कराया जाये। केनाल पटरी पर नगर निगम की बारातशाला के बगल में पार्क हेतु जमीन वर्ष 2005 में कानपुर विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को हस्तानान्तरित की थी, उस जमीन पर एक माफिया की दृष्टि है, वहाँ पर तत्काल पार्क का निर्माण कराया जाये।

सभापति ने कहा कि यूनियन क्लब, नौका विहार का प्रकरण बार-बार सदस्य द्वारा उठाया जाता है, किन्तु कोई अभिलेख/आख्या प्रस्तुत नहीं किया जाता है। आगामी मा0 सदन की बैठक में यूनियन क्लब, नौका विहार के प्रकरण में विस्तृत आख्या/ अभिलेख प्रस्तुत किया जाये।

श्री आर0 के0 पाल, पर्यावरण अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश ने अवगत कराया कि कानपुर विकास प्राधिकरण से एक नोटिस आई है। कानपुर विकास प्राधिकरण के ले-आउट प्लान में उक्त भूमि हस्तानान्तरित है।

सभापति ने कहा कि जब वर्ष 2005 में भूमि हस्तानान्तरित कर दी गयी तो कानपुर विकास प्राधिकरण क्यों दावा कर रहा है एवं हस्तानान्तरण की शर्तें क्या है, के सम्बन्ध में आगामी मा0 सदन में अवगत करायें।

श्री शिवशरणप्पा जी.एन. नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि तत्काल सम्पत्ति विवाद का निस्तारण कराया जाये।

सभापति ने पूछा कि कितनी बारातशाला है, कितनी आय है, कितना खर्च है ? प्रेमनगर की बारातशाला 8 साल में ही जर्जर हो गयी। बारातशालायें, कम्युनिटी सेन्टर के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराये।

श्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बारातशालाओं एवं कम्युनिटी सेन्टर की सूची जोनों से प्राप्त नहीं है। 05 बारातशालायें सम्पत्ति विभाग से आवंटित होती है। पूरे शहर में लगभग 20 बारातशालायें है।

सभापति ने निर्देशित किया कि बारातशालाओं एवं कम्युनिटी सेन्टर की सूची उपलब्ध कराये जाने के साथ सभी बारातशालाओं का धन नगर निगम कोष में जमा हो। चुन्नीगंज में रैन बसेरा है, उसे चलाने

वाले का कान्ट्रेक्ट एक वर्ष पूर्व समाप्त हो गया है। रात में आस-पास के लोग शराब पीकर अन्दर बैठे रहते हैं। रैन बसेरा नशेड़ियों का अड्डा हो गया है।

श्री आर०के० तिवारी, अधिशाषी अभियन्ता, जोन-4 ने अवगत कराया कि वर्ष 2022 में चुन्नीगंज रैन बसेरा के कान्ट्रेक्ट समाप्त हो गया है। 03 आदमी वहाँ तैनात करने पड़ेगे। रैन बसेरा डूडा से संचालित किया जाता है। जोन-4 में 05 रैन बसेरा है।

सभापति ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया एक साथ पूरे शहर के रैन बसेरा का टेण्डर कराया जाये।

श्रीमती अंजुली आदर्श दीक्षित ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी में वार्ड-55 गुजैनी में नहर की पुलिया जर्जर होने के सम्बन्ध अवगत कराया था, जिसमें पुलिया निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी थी, किन्तु अभी तक पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री नानक चन्द्र, अधिशाषी अभियन्ता, जोन-5 ने अवगत कराया कि पुलिया सिंचाई विभाग की है, सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वार्ता की गयी थी, किन्तु उन्होने नगर निगम को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया है, सिंचाई विभाग नगर निगम से एक करोड़ पचास लाख की धनराशि मांग रहा है।

सभापति ने कहा कि सिंचाई विभाग से वार्ता करके पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती अंजुलि आदर्श दीक्षित ने कहा कि हमारे वार्ड 55 में पार्क में पहले एक सबस्टेशन बन रहा था, स्थानीय लोगो ने मा० उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें सब-स्टेशन निर्माण आदेश रद्द कर दिया गया है। स्थानीय लोगो की मांग है कि उस पार्क का निर्माण पंचशील पार्क रखा जाये।

सभापति द्वारा पंचशील पार्क के नामकरण के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्री बी०के सिंह उद्यान अधीक्षक ने अवगत कराया कि उक्त पार्क में के०डी०ए० उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त एवं केस्को पार्टी थी, इसलिये अभी इसके नामकरण पर विचार न किया जाये।

सभापति ने कहा कि एक इन्दिरा पार्क के नामकरण का प्रकरण आया है, जिसमे स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया है कि जब से पार्क बना है, तब से इन्दिरा पार्क नाम है। इन्दिरा पार्क को धोखे में रखकर अन्यत्र नामकरण का आदेश पारित करा लिया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया बिजली सभी को चाहिए, किन्तु सबस्टेशन नहीं बनेगा तो बिजली कहीं से मिलेगी, जब मा० न्यायालय में नगर निगम पार्टी है, इसलिये पंचशील पार्क के नामकरण पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि रू० 25-25 लाख की पत्रावली तैयार किये जाने के आदेश हुए थे, किन्तु अभी तक मात्र 10-10 लाख के ही मात्र कार्य हुए है।

श्री मनीष अवस्थी, मुख्य अभियन्ता "सिविल" ने अवगत कराया कि सभी अवशेष धन की पत्रावली तैयार है, जल्द ही टेण्डर कराकर कार्य कराये जायेंगे।

सभापति द्वारा बजट में रू0 100 करोड़ बाण्ड के स्थान पर 114 करोड़ अंकित होने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्री कृपा नन्द शुक्ला, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि रू 100 करोड़ का बाण्ड है, जिसमें 13 करोड़ भारत सरकार से इनसेन्टिव मिलेगा, साथ ही रू0 1 करोड़ बैंक से ब्याज के रूप में मिलेगा, इसलिये कुल 114 करोड़ की धनराशि का उल्लेख है।

सभापति ने कहा कि बड़े बकायेदार से कितनी वसूली हुई, कितनी बकाया है, कितना बाकी है, के सम्बन्ध में आगामी मा0 सदन की बैठक में अवगत करायें।

सभापति द्वारा विज्ञापन का प्रकरण मा0 न्यायालय में जाने के सम्बन्ध में पूछ जाने पर श्री राजेश सिंह ने अवगत कराया दुबारा टेण्डर कराया जायेगा।

सभापति द्वारा मेट्रो स्टेशन में दुकानों के कर के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्री प्रतिपाल सिंह, अपर नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में शासन द्वारा मेट्रो स्टेशन की दुकानों को 05 वर्ष के लिये छूट दे दी है, 05 वर्ष तक कोई टैक्स देय न होगा।

सभापति ने पूछा कि पार्कों में दुकानों मेट्रो को दुकानें बनाये जाने हेतु एन0ओ0सी0 किसके द्वारा दी गयी। आगामी मा0 सदन की बैठक में अवगत करायें।

सभापति ने यह भी निर्देशित किया कि पार्कों में नलकूल पार्कों के बीचो-बीच लगा दिये जा रहे हैं, जिससे पार्क का स्वरूप ही समाप्त हो रहा है, पार्कों में नलकूल किनारे लगाये जाये तो पार्कों का अस्तित्व बचा रहेगा।

सभापति एवं मा0 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा डॉ0 अजय संखार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को स्वच्छता में नं0-1 आने पर बधाई दी गयी।

नगर आयुक्त द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्वच्छता की दृष्टि से 2,5,6 बड़े जोन हैं, इन्हें दो-दो भागों बांटते हुए कुल 09 जोन बनाये जा रहे हैं।

सभापति ने कहा कि 09 जोन बनाये जाने की कार्यवाही ठीक है, क्योंकि कई वार्ड बड़े-बड़े हैं, इसलिये बीट भी बड़ी हो जाती है, एक कर्मी पूरी सफाई नहीं कर सकता है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष दीपावली में भी मार्ग प्रकाश की लाईटें नहीं मिली।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा एल0ई0डी0 में एक ड्राइवर लगाया जाता है, उसके लिये धन नहीं है।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि लाईटों के ड्राइवर का भुगतान नहीं हो रहा है।

श्री निर्देश सिंह चौहान ने पूछा कि किस प्रकार लाईटे बदली या ठी

श्री आर0के0 पाल प्रभारी मुख्य अभियन्ता 'मार्ग प्रकाश' द्वारा अवगत कराया गया कि ई0ई0एस0एल0 से अनुबन्ध समाप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, अनुबन्ध शासन द्वारा ही समाप्त किया जाना है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि पार्श्व के प्रस्ताव पर कार्य नहीं होता है। मा0 विधायक के प्रस्ताव पर कार्य हो जाता है और एन0ओ0सी0 भी दे दी जाती है। हमारे क्षेत्र के विधायक जी अधिकारियों पर दबाव बनाकर कार्य कराते है। स्वीमिंग पुल, नानाराव पार्क अभी तक खुल नहीं पाया।

सभापति ने निर्देशित किया कि नगर निगम अथवा स्मार्ट सिटी से जो भी कार्य होगा, उसमें केवल क्षेत्र के लोकसभा एवं विधान सभा सदस्यों के महापौर एवं पार्श्वों का नाम भी होना चाहिए।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि मेरे क्षेत्र में कार बाजार है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ज्यादा होता है लेकिन वसूली नहीं हो पा रही है। मैंने कूड़ा उठाने वालों एवं कार बाजार वालों के साथ दो बार मीटिंग भी की, लेकिन कूड़ा कलेक्शन वाले वसूली नहीं कर पा रहे है।

श्री अभिषेक गुप्ता मोनू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो चालान किया जाता है वह 06 महीने बाद आता है, चालान पाने वाला भूल जाता है कि कौन सी गलती में चालान हुआ। इसके लिये कोई नियम बनायें।

सभापति ने निर्देशित किया है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का सभी जोनो एक साथ टेण्डर कराये एवं सभी जोनो हेतु अलग-अलग कम्पनी को दें।

श्रीमती आरती गौतम ने कहा हमारे वार्ड का नाम उस्मानपुर है इसका नाम बदले जाने का प्रस्ताव है।

सभापति ने कहा वार्ड का नाम पूर्व से उस्मानपुर है, इसके बदले जाने में काफी धन व्यय होगा और हमारी सरकार का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास।

श्री सन्तोष साहू उपसभापति ने कहा कि खंभो में लगी स्ट्रिप लाईट होर्डिंग्स लगाने से टूट जाती है और स्ट्रिप लाईट खराब हो जाती है। इस पर कार्यवाही की जाये।

सभापति ने निर्देशित किया कि सफाई नायकों को इसमें लगाया जाये, जहाँ भी खंभो पर होर्डिंग्स दिखाई दें उन्हें काट दें।

सभापति ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा कि क्या निजी स्कूल वाले डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का धन दे रहे है ?

डॉ अजय संख्यावार नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ दे रहे है कुछ नहीं दे रहे है।

श्री सन्तोष साहू उप सभापति ने कहा कि कुछ गेस्ट हाउस वाले भी पैसा नहीं दे रहे है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि मेरे द्वारा एक कर्मचारी की शिकायत की गयी थी, जिसमें नगर आयुक्त द्वारा अपर नगर आयुक्त "प्रथम" को जाँच करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में न तो कोई कार्यवाही की गयी है न ही मुझे कोई सूचना प्राप्त करायी गयी है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्री प्रतिपाल सिंह, अपर नगर आयुक्त ने कहा कि शिकायत के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है इसमें शिकायत की विस्तृत स्थिति जानने हेतु मुझे स्वयं प्रतिवादी बनकर सम्बन्धित कर्मचारी के पास जाना था, परन्तु विगत कुछ दिनों में व्यस्तता अधिक होने के कारण मैं जा नहीं पाया। आगामी कुछ दिनों में आवश्यक कार्यवाही कर मा0 पार्षद जी को सूचित किया जायेगा।

सभापति ने कहा मोबाइल सेल्फी प्वाइंट बनाये गये वर्टिकल गार्डन की स्थिति खराब है, पौधे सूख रहे हैं एवं डिब्बे टंगे हुए हैं, इससे शहर की छवि खराब हो रही है।

सभापति ने पूछा कि आकस्मिक निधि में 20 करोड़ की धनराशि है, खर्च मात्र 03 करोड़ है।

श्री कृपा नन्द शुक्ला, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि अगस्त 2023 तक के आंकड़े हैं।

प्रस्ताव संख्या –33

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित बजट 2023–24 जो मा0 महापौर जी को पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कृपया नगर निगम के पुनरीक्षित बजट 2023–24 जिसे नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-147 "बजट के तखमीने अक्टूबर माह में मा0 कार्य कारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है," के क्रम में पुनरीक्षित बजट तैयार कर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। उपरोक्त पुनरीक्षित बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के मूल बजट में प्रस्तावित कुल आय रू0–160578.95 लाख को पुनरीक्षित आय रू0–170825.60 लाख करते हुए उसके सापेक्ष प्रस्तावित कुल व्यय रू0–160508.45 लाख को पुनरीक्षित व्यय रू0–168142.70 लाख किया गया है। इस प्रकार पुनरीक्षित अन्तिम अवशेष रू0– 49185.68 लाख सहित कुल पुनरीक्षित बजट 2023–24 रू0–217328.38 लाख का मा0 कार्य कारिणी समिति के समक्ष अंगीकार/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

आय

(धनराशि लाख में)

<u>Account Code</u>	<u>Account Head</u>	<u>लेखा शीर्षक</u>	<u>लेखा मद</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>	<u>वास्तविक आय 2022–23 तक</u>	<u>प्रस्तावित धनराशि 2023–24</u>	<u>वास्तविक आय अगस्त 2023 तक</u>	<u>पुनरीक्षित धनराशि 2023–24</u>
	Revenue Income		राजस्व आय	–				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	18418.65	27512.50	7462.18	27512.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	310.35	952.00	220.77	772.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	3094.28	4543.95	1205.21	5553.40
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	4	52.69	148.40	324.40	581.10
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	9.59	10.10	0.00	10.10
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	541.04	602.50	156.40	602.50
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	434.12	768.30	106.45	693.00
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	5	46418.62	45650.20	24822.51	56710.00

	TOTAL -(A)		योग (अ)	5	69279.34	80187.95	34297.92	92434.60
	Capital Income		पूँजीगत आय	-				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	6	16291.13	27101.00	18626.90	24801.00
3111	Infrastructure Fund KDA,Awas Vikas	3111	अवस्थापना निधि,विकास प्रधिकरण,आवास विकास	6	3455.42	4000.00	0.00	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6-7	5688.82	6066.00	0.00	6066.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3304	eipts	3304	म्यूनिसिपल बाण्ड से प्राप्तियाँ	7	0.00	15350.00	0.00	11400.00
	TOTAL -B-		योग (ब)	7	25435.37	52521.00	18626.90	46271.00
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	7	94714.71	132708.95	52924.82	138705.60
	Reserve Fund (Transfer & Adjustments)		रिजर्व फण्ड (हस्तान्तरण एवं समायोजन)					
3111	State Finance Comm. Adjustment (DLB)	3111	राज्य वित्त आयोग समायोजन (डीएलबी)	7	20625.38	16950.00	0.00	21200.00
3111	AMRUT/ Smart City Etc	3111	अमृत / कानपुर स्मार्ट सिटी / आदि	8	13311.55	10920.00	4659.58	10920.00
	TOTAL -C-		योग (स)	8	33936.93	27870.00	4659.58	32120.00
	Total Revenue, Capital & Reserve fund Income A +B+ C		कुल राजस्व,पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	8	128651.64	160578.95	57584.40	170825.60
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:-	8	45022.58	30252.32	46502.78	46502.78
	Grand Total		महायोग	8	173674.22	190831.27	104087.18	217328.38

व्यय

(धनराशि लाख में)

Acco unt Code	Account Head	लेखा शीर्ष क	लेखा मद	पृष्ठ संख या	वास्तविक आय 2022-23 तक	प्रस्तावित धनराशि 2023-24	वास्तविक आय अगस्त 2023 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2023-24
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	-				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	47285.32	51239.20	21808.47	53306.20
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	1299.66	1614.25	686.11	1732.50
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-	19036.77	24826.00	12943.72	32335.00

				12				
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	676.79	754.50	0.57	754.50
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	919.59	1252.50	793.34	1887.50
	TOTAL -D-		योग (द)	13	69218.13	79686.45	36232.21	90015.70
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	14	17938.87	26900.00	408.44	28300.00
3111	Infrastructure Fund, KDA & Awas Vikas	3111	अवस्थापना निधि, विकास प्रधिकरण, आवास विकास	14	1787.01	4000.00	1269.38	4390.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	2751.62	6690.00	2320.32	7255.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	0.00	4.00	0.00	4.00
4608	Municipal Bond Payments	4608	म्यूनिसिपल बाण्ड हेतु व्यय	15	0.00	15350.00	48.27	6100.00
4609	Stock In Hand	4609	अन्तिम रहतिय मे वृद्धि / कमी	15	-81.91	4.00	0.00	4.00
	Total -E-		योग (य)	15	22395.59	52948.00	4046.41	46053.00
	Total -(D+E)		योग (द+य)	15	91613.72	132634.45	40278.62	136068.70
	Reserve Fund (Transfer & Adjustments)		रिजर्व फण्ड (हस्तान्तरण एवं समायोजन)					
3111	State Finance Commission Adjustment (DLB)	3111	राज्य वित्त आयोग समायोजन (डीएलबी)	15	20625.38	17050.00	0.00	21200.00
3111	AMRUT/ Smart City Etc	3111	अमृत / कानपुर स्मार्ट सिटी / आदि	15	13380.20	10824.00	4768.07	10874.00
	TOTAL -F-		योग (र)	15	34005.58	27874.00	4768.07	32074.00
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	15	125619.30	160508.45	45046.69	168142.70
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें / उच्चन्त खाते	16	-1552.14	0.00	504.61	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	16	127171.44	160508.45	44542.08	168142.70
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :-	16	46502.78	30322.82	59545.10	49185.68
	Grand Total		महायोग	16	173674.22	190831.27	104087.18	217328.38

.....सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के नगर निगम के पुनरीक्षित बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 170825.60 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 46502.78 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 217328.38 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 168142.70 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 49185.68 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 217328.38 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।

प्रस्ताव संख्या-34

श्री, अरुण कुमार गुप्ता, महामंत्री, भारतीय लोकतंत्र सेनानी संगठन (उत्तर प्रदेश) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

विषय:- वार्ड नं0-81 नसीमाबाद स्थित हाथी वाले पार्क को लोकतंत्र सेनानी वाटिका घोषित करने के संबंध में।

ट्रिपल इंजन की सरकार की कानपुर में अगुवाई कर रही कानपुर नगर निगम के द्वितीय सत्र का नेतृत्व कर रही यशस्वी महापौर श्रीमती प्रमिला पांडेय को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपातकालिक राजनैतिक बन्दी जिन्होंने तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही एवम् दमनात्मक रवैये के विरुद्ध लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु अपने जीवन काल के स्वर्णिम पलों को न्यौछावर कर दिया। 2006 में तत्कालीक मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मानित किया।

लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को यादगार बनाने व सम्मान हेतु प्रदेश के कई स्थानों को लोकतंत्र सेनानी मार्ग आदि नाम दिए गए। इसी संदर्भ में वार्ड नं0 81 नसीमाबाद में स्थित हाथी वाला पार्क को "लोकतंत्र सेनानी वाटिका" और पार्क स्थित जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा कमरे को "लोकतंत्र सेनानी कार्यालय एवं वाचनालय" के रूप में आवंटित किया जाए। इस तरह का प्रस्ताव लोकतंत्र सेनानियों की बैठक में पारित हुआ।

भारतीय लोकतंत्र सेनानी संगठन उत्तर प्रदेश यशस्वी महापौर श्रीमती प्रमिला पांडेय जी से आग्रह निवेदन करता है कि वार्ड नं 81 नसीमाबाद स्थित पार्क को "लोकतंत्र सेनानी वाटिका" एवं कक्ष को "लोकतंत्र सेनानी कार्यालय एवं वाचनालय" के रूप में आवंटित करने का कष्ट करें।

.....तदनुसार प्रस्ताव पर निर्णय हेतु मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या - 35

महाप्रबन्धक, जलकल द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित जल कल नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर									
प्रस्तावित वार्षिक पुनरीक्षित बजट वर्ष 2023-24									
Account Code	S N	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2022-23	प्रस्तावित आय 2023-24	वास्तविक आय अगस्त, 2023 तक	पुनरीक्षित आय 2023-24	(रु0 लाख में)
	A	Revenue Income		राजस्व आय -					
1100201		Water Tax	1100201	जलकर	7896.23	10140.00	2342.26	10140.00	
1501011		Addition al Water Charge/ Minimum Charge	1501011	अतिरिक्त जलमूल्य / न्यूनतम प्रभार	2199.15	3200.00	746.85	3200.00	

1100301		Sewer Tax and minimum charges	1100301	सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	3159.56	4400.00	944.28	4400.00
1408002		Other receipts	1408002	अन्य प्राप्तियाँ	36.62	35.00	18.63	35.00
1408001		Surcharge	1408001	अधिभार	40.02	45.00	15.65	45.00
1401502		Regularization	1401502	नियमितकरण	28.23	25.00	9.25	25.00
1401401		Development Charge	1401401	विकास शुल्क	134.32	155.00	60.18	155.00
		Total Revenue Income		योग राजस्व आय—	13494.13	18000.00	4137.10	18000.00
3111000	B	Earmarked Fund		कार्य विशेष निधियाँ				
		Deposit work	3111301	डिपोजिट कार्य				
3111001	1	MP/MLA Fund		सांसद/विधायक निधि	467.53	450.00	346.36	450.00
3111002	2	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	0.00	100.00	0.00	100.00
3111003	3	K.N.N. Scheme		के०एन०एन० योजना	0.00	50.00	0.00	50.00
3111004	4	KDA Fund		के०डी०ए० फण्ड	0.00	850.00	0.00	850.00
3111005	5	14th/15th Finance Commission		14वां/15वां वित्त आयोग	3413.43	5650.00	2613.45	5650.00
3111006	6	State Finance Commission		राज्य वित्त आयोग	25.00	100.00	0.00	100.00
3112301	7	Grant(Power & Expenses)	3112301	अनुदान (विद्युत एवं व्यय)	4197.16	4500.00	0.00	4500.00
		Total Capital Income		योग पूंजीगत आय—	8103.12	11700.00	2959.81	11700.00
	C	Salary Grant(5th State Finance Commission)		वेतन अनुदान (पंचम राज्य वित्त आयोग)	3600.00	0.00	0.00	0.00
		Sum(A+B+C)		योग—(क+ख+ग)	25197.25	29700.00	7096.91	29700.00
		Opening Balance		प्रारम्भिक अवशेष	6312.76	6644.00	4206.63	6644.00
		Grand Total		महायोग —	31510.01	36344.00	11303.54	36344.00

**जलकल विभाग नगर निगम कानपुर
प्रस्तावित वार्षिक पुनरीक्षित बजट वर्ष 2023-24**

(रु० लाख में)

Account Code	S . N .	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	प . ट . स .	वास्तविक व्यय 2022-23	प्रस्तावित व्यय 2023-24	वास्तविक व्यय अगस्त, 2023 तक	पुनरीक्षित व्यय 2023-24
--------------	---------	--------------	-------------	---------	-------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------

					0				
	A	Revenue Expenditure		राजस्व व्यय –					
2101001	1	Establishment Expenses	2101001	अधिष्ठान व्यय	3	11727.70	11445.00	4806.11	11570.00
2303004	2	Supplies of Material	2303004	सामग्रियों की आपूर्ति	4	809.32	1222.00	525.36	1222.00
2308007	3	Administrative Expenses	2308007	प्रशासनिक व्यय	5	99.44	250.00	63.04	190.00
2305006	4	Operation & Maintenance	2305006	संचालन एवं रख-रखाव व्यय	6	1810.64	3470.00	1099.35	3825.00
2208003	5	Expenses General Tax (Adjustment)	2208003	जनरल टैक्स (समायोजन)		0.00	200.00	1360.73	40.00
		Total Revenue Expenditure		योग राजस्व व्यय–		14447.10	16587.00	7854.59	16847.00
	B	Capital Expenditure		पूंजीगत व्यय –					
4104007	1	Purchase of water measuring instruments	4104007	जल मापक यन्त्रों का क्रय		-	5.00	-	2.00
4106001	2	Purchase of machines and equipment	4106001	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय		24.00	27.00	-	20.00
4107001	3	Furniture and computer purchases	4107001	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय		15.00	100.00	-	50.00
4105001	4	Vehicles, Tractors, Tanker purchases	4105001	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय		-	100.00	-	50.00
4102001	5	Building construction and land	4102001	भवन निर्माण एवं भूमि		23.00	100.00	-	25.00
4107006	6	Contigent capital expenditure	4107006	आकस्मिक पूंजीगत व्यय		-	50.00	-	20.00
4103101	7	Laying of new pipelines (water)	4103101	नई नलिकायें बिछाना (जल)		24.50	350.00	83.77	350.00
4103102	8	Laying of new pipelines (sewer)	4103102	नई नलिकायें बिछाना (सीवर)		-	350.00	133.54	350.00
4104003	9	Purchase of new pumping/motor pump	4104003	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय		24.30	75.00	-	30.00
		Total Capital Expenses		योग पूंजीगत व्यय –		110.80	1157.00	217.31	897.00
		Total Revenue & Capital Expenses		योग राजस्व एवं पूंजीगत व्यय –		14557.90	17744.00	8071.90	17744.00
3111000	C	Earmarked Fund	3111000	कार्य विशेष निधियां					
		Deposit work		डिपोजिट कार्य					
3111001	1	MP/MLA Fund	3111001	संसद/विधायक निधि		276.04	450.00	387.36	450.00
3111002	2	Infrastructure Fund	3111002	अवस्थापना निधि		2.20	100.00	0.30	100.00
3111003	3	K.N.N. Scheme	3111003	के0एन0एन0 योजना		6.03	50.00	0.83	50.00
3111004	4	KDA Fund	3111004	के0डी0ए0 फण्ड		571.41	850.00	176.34	850.00
3111005	5	14th/15th Finance Commission	3111005	14वां/15वां वित्त आयोग		4693.91	5650.00	149.14	5650.00
3111006	6	State Finance Commission	3111006	राज्य वित्त आयोग		0.00	100.00	20.00	100.00
31120301	7	Grant (Power & Expenditure)	31120301	अनुदान (विद्युत एवं व्यय)		4197.16	4500.00	1883.57	4500.00
		Total		कुल व्यय –		9746.75	11700.00	2617.54	11700.00

Expenditure							
	Grand Total (A+B+C) Expenses		कुल योग (अ+ब+स) व्यय				
	Closing Balance		अन्तिम अवशेष	24304.65	29444.00	10689.44	29444.00
	Grand Total		महायोग	31510.01	36344.00	11303.54	36344.00

..... सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के जल कल, नगर निगम के पुनरीक्षित बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 29700.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 6644.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 36344.00 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 29444.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 6900.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 36344.00 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 36

अंकित शुक्ला, वरिष्ठ सम्पादक, अमर उजाला लिमिटेड, 89, गर्वमेन्ट इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कालपी रोड, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना ।

विषय : अमर उजाला एवं नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से स्थापित राष्ट्रध्वज सम्बन्ध में।

जैसा कि आपको विदित है कि 'अमर उजाला' द्वारा नगर निगम के सहयोग से 'स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर नगर निगम मुख्यालय के पास 65 फिट का एक 'राष्ट्रीय ध्वज' लगाया गया है। इसके सुन्दरीकरण की प्रक्रिया के तहत इस पर पट्टीका लगाना भी प्रस्तावित है। इस पट्टीका पर नगर निगम कानपुर के साथ 'अमर उजाला के नवोन्मेषक अतुल माहेश्वरी जी' के नाम का जिक्र इस प्रयोजन को और अधिक सार्थक बनाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

अतः आपसे अनुरोध है कि 'अमर उजाला के नवोन्मेषक अतुल माहेश्वरी जी' के नाम पट्टीका लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 37

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू', श्री लियाकत अली, श्री सन्तोष साहू, श्री निर्देश सिंह चौहान, श्रीमती अंजुली दीक्षित, श्री देवेन्द्र द्विवेदी, श्री योगेन्द्र शर्मा, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना ।

अवगत कराना चाहता हूँ कि स्व0 सिद्धेश्वर अवस्थी कानपुर नगर के एक वरिष्ठ सामाजिक एवं नाटय कलाओं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, साहित्यिक एवं रंगमंत्र के माध्यम से उन्होंने समाज पर अपनी छाप छोडी और ब्रम्हलीन हो गये।

अतः उनके नाम पर सिविल लाइन अयोध्या नाथ पार्क से पाल लस्सी होते हुए कचहरी रोड का नाम स्व0 सिद्धेश्वर अवस्थी के नाम पर करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

.....परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से मार्ग का नामकरण नहीं है, तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 38

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू', श्री लियाकत अली, श्रीमती अंजुली दीक्षित, श्रीमती आरती गौतम श्री देवेन्द्र द्विवेदी, श्री योगेन्द्र शर्मा, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में मेस्टन रोड स्थित फुटपाथ का सुन्दरीकरण प्रस्ताव जो रू0 16,80,772.00 के स्टीमेट का यह कानपुर नगर की प्रमुख मार्केट है, जिसका सुन्दरीकरण करा कर फुटपाथ पर ग्रेनाइट पत्थर लगाने हेतु आदेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें।

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 39

श्री पवन गुप्ता,, श्री लियाकत अली, श्री योगेन्द्र शर्मा, श्री देवेन्द्र द्विवेदी, श्रीमती अंजुली दीक्षित, श्री विकास जायसवाल द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : केसा चौराहे से क्रान्ति गेस्ट हाउस चौराहे तक हमारे पूजनीय पिता जी स्व0 गोपी चन्द्र गुप्ता मार्ग का नाम रखने के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि हमारे वार्ड 37 अशोक नगर के केसा चौराहे से क्रान्ति गेस्ट हाउस चौराहे तक रोड का नाम हमारे पूजनीय पिता जी स्व0 गोपी चन्द्र गुप्ता जी के नाम से किया जाये हमारे पिता जी क्षेत्र के नागरिकों के साथ सुख-दुख में हमेशा खड़े रहते थे और एक अच्छे समाज सेविक थे।

.....परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से मार्ग का नामकरण नहीं है, तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 40

श्री नीरज वाजपेई, श्रीमती अंजुली दीक्षित, श्री निर्देश सिंह चौहान, श्री सन्तोष साहू, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

निवेदन है कि 117/एच-2/139 पाण्डु नगर से 117/एच-2/153 पाण्डु नगर तक के मार्ग का स्मृतिशेष अवधेश पाण्डेय (पूर्व पार्षद) नामकरण कराने का कष्ट करें।

.....परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से मार्ग का नामकरण नहीं है, तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 41

श्री सतीश कुमार यादव, पार्षद, वार्ड-87 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आपसे निवेदन है कि महाराजपुर विधानसभा के वार्ड 87 में सरस्वती नगर में हमीरपुर मुख्य मार्ग से पारितोष स्कूल कैम्पस तक आर0सी0सी0 नाला 480 मीटर लम्बा अनुमानित लागत 63,95,397.00 है। इस नाले को कार्यकारिणी प्रस्ताव में जोड़कर पास कराने का कष्ट करें।

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 42

श्री सतीश कुमार यादव, पार्षद, वार्ड-87 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आपसे निवेदन है कि महाराजपुर विधानसभा के वार्ड 87 में दो सड़के जिनकी लागत 19,77,299.00 है व दूसरी जिसकी लागत 18,47,913.00 है, जिसका फाइल नं0 105 एए-2 2023-2024 व दूसरे का फाइल नं0 110 एए-2 2023-2024 है।

अतः इन दोनो फाइलों को कार्य कारिणी द्वारा प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 43

श्री नवीन पण्डित, पार्षद, वार्ड 93 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : एल0ई0डी0 झालरों जो खम्भों पर लगायी जा रही है, उस पर लोग छोटे बोर्ड लगाकर प्रचार करते हैं। उन पर जुर्माना व कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

आपके अथक प्रयासों और नगर निगम के प्रयासों से नगर की खूबसूरती बढ़ाने के लिये लाइट वाले पोल पर एल0ई0डी0 झालर तिरंगा लगाकर सुन्दरता बढ़ाई जा रही है, जो देखने में मनमोहक व अच्छा लगता है। वहीं कुछ लोग कट आउट लगाकर रोशनी छिपा रहे हैं व खराब कर दे रहे हैं, इन लाइटों में पतला तार लगा होता है, जो खराब हो जाता है। पाँच हजार की एक झालर पड़ती है, ऐसे लागों को चिन्हित करके नगर निगम उन पर जुर्माना व मुकदमा लिखाने का आदेश दें, जिससे झालरों को सुरक्षित/मनमोहक रखा जा सके।

.....तदनुसार जुर्माना की कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

..... सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

.....
तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/सभापति

